सं0सं0– 10 / विविध–11 / 2023–

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(समाज कल्याण निदेशालय)

–:: संकल्प ::–

विषयः– **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेश के अनुपालन के आलोक में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुरूप पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा–39 के तहत लैंगिक अपराधों से पीड़ित बालक एवं बालिकाओं की सहायता के लिए सहायक व्यक्ति के मनोनयन प्रति वाद रू0 9000 / – (पारिश्रमिक एवं यात्रा व्यय सहित) की दर से करने एवं इसके निमित राज्य में अनुमानित वार्षिक 6000 वादों के लिए 6000x9000=540.00 लाख (पाँच करोड़ चालीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा लैंगिक अपराधो से पीड़ित बालकों एवं बालिकाओं के सुरक्षा एवं संरक्षण के संबंध में संचालित वाद में दिए गए निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किया गया है। उक्त दिशा–निर्देश द्वारा पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा–39 अंतर्गत लैंगिक अपराधो से पीड़ित बालक / बालिकाओं को पूरी न्यायिक प्रक्रिया की अवधि में 'सहायक व्यक्ति' की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है।

2. उक्त के आलोक में राज्य में दर्ज पॉक्सो से संबंधित वादों में बालक एवं बालिकाओं को मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक लगाव देते हुए सहज रूप से न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेते हुए वाद के निष्पादनार्थ 'सहायक व्यक्ति' का मनोनयन किया जाना आवश्यक है।

3. उपरोक्त वस्तुस्थिति के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुरूप पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा–39 के तहत लैंगिक अपराधों से पीड़ित बालक एवं बालिकाओं की सहायता के लिए सहायक व्यक्ति के मनोनयन प्रति वाद रू0 9000 / – (पारिश्रमिक एवं यात्रा व्यय सहित) की दर से करने एवं इसके निमित राज्य में अनुमानित वार्षिक 6000 वादों के लिए 6000x9000=540.00 लाख (पाँच करोड़ चालीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. स्वीकृत राशि की निकासी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत माँग संख्या–51–समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष–02–समाज कल्याण, लघु शीर्ष–106–सुधार सेवाएँ, उपशीर्ष–0008,–बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय परिषद, विपत्र कोड– 51–2235021060008 के विषय शीर्ष –02–01–मजदूरी मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

5. प्रस्ताव पर संचिका सं0– 10/विविध–11/2023– के टिप्पणी पृ0–174/टि0 पर दिनांक–06.02.2026 को मद संख्या–16 में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

6. यह आदेश संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

6/2/2026

(बन्दना प्रेयषी)
सचिव,

ज्ञापांक– 10/विविध–11/2023– 210 पटना, दिनांक– 06-02-2026

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 सहित) में राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

6/2/2026
सचिव

ज्ञापांक– 10/विविध–11/2023– 210 पटना, दिनांक– 06-02-2026

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/2/2026
सचिव

ज्ञापांक– 10/विविध–11/2023– 210 पटना, दिनांक– 06-02-2026

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/ निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/वित्त विभाग (बजट शाखा)/अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग (योजना एवं बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

6/2/2026
सचिव

ज्ञापांक– 10/विविध–11/2023– 210 पटना, दिनांक– 06-02-2026

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

6/2/2026
सचिव

ज्ञापांक– 10/विविध–11/2023– 210 पटना, दिनांक– 06-02-2026

प्रतिलिपि :– आई0टी0मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6/2/2026
सचिव